न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 294/2023 GCMS No.—2023/142

तोताराम बलाई पुत्र श्री खेरूराम बलाई आयु 51 साल जाति बलाई निवासी भानपुर कलां, थाना जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती रामलल्ली शर्मा पत्नी श्री शंकरलाल शर्मा निवासी ग्राम भानपुर कलां, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. सचिव ग्राम पंचायत भानपुर कलां, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....विपक्षीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 05.12.2019 ग्राम पंचायत भानपुर कलॉ पंचायत समिति जमवारामगढ, जयपुर।

उपस्थितः–

1. श्री नेमीचन्द जलवानिया अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 08.07.2025

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत भानपुकलां, पंचायत समिति जमवारामगढ के आदेश दिनांक 05.12.2019 की पालना में से गैर निगरानीकार संख्या 1 श्रीमती रामलल्ली शर्मा पत्नी श्री शंकरलाल शर्मा, निवासी ग्राम भानपुर कलां, तहसील जमवारामगढ पक्ष में पट्टा जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 30.10.2023 को न्यायालय में प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता श्री दिनेश शर्मा उपस्थित आये। विपक्षी संख्या 2 की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल तलब की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त पत्र अनुसार ग्राम पंचायत में पट्टा पत्रावली अनुपलब्ध है। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अभिभाषकउभय पक्ष सुनी गई।

योग्य अभिभाषक निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यो अनुसार ग्राम पंचायत भानपुर कलां द्वारा आबादी भूमि का पट्टा विलेख दिनांक 05.12.2019 को गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में क्षेत्रफल 297.44 वर्गगज का जारी किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि से संबंधित दिनांक 07.08.2008 को निगरानीकार द्वारा जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत दलित व्यक्ति

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

की पट्टेशुदा भूमि पर भूमाफियाओ का कब्जा करने बाबत प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 21.01.2011 को निगरानीकार द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार जमवारामगढ के आदेश पर खसरा नंबर 334/2 आबादी भूमि की सीमा ज्ञान रिपोर्ट में उल्लेखित किया कि विवादित भूमि खसरा नंबर 334/2 जो तोताराम के मकान के पश्चित दिशा में स्थित है एवं खसरा नंबर 574 व 863/575 के खातेदार शंकर लाल ने खसरा नंबर 334/2 की आबादी भूमि को उपरोक्त दोनो खसरा नंबर 574 व 863/575 के खातों में शामिल कर रखा है। जिस पर पुख्ता डन्डा लगा रखा है जिसका नक्शा दर्शाया गया है तोताराम के मकान के पीछे उत्तरी पश्चिम कौन से आबादी भूमि 18 फीट व मकान के दक्षिणी पश्चित कोने से 12 फीट एक फीट डन्डा की दूरी तक पश्चित दिशा में आबादी भूमि स्थित है। जिस पर निगरानीकार पूर्व से वर्तमान तक निरन्तर काबिज है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश जयपुर द्वारा दिनांक 02.02.2008 को आदेश पारित फरमाया कि प्रार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को ताफैसला मूल वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया कि प्रार्थी के भूखण्ड के पश्चिम में आवंटित भूखण्ड से तीन फीट की गली छोडते हुए निर्माण करे, इसके पश्चात भी अप्रार्थी उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए बाउण्ड्रीवाल का जबरन निर्माण कराने पर आमादा है। ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में ही उक्त भूमि पर इन्द्रा आवासीय पट्टे दूलाराम, रूपनारायण, सीताराम, निगरानीकार, धन्नलाल, प्रभुदयाल के हक में जारी किये हुए थे उसके बावजूद भी रामलल्ली के पक्ष में सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए अनाधिकृत रूप से पट्टा जारी कर दिया जो अवैध पट्टा गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है। गैर निगरानीकार संख्या 1 के पक्ष में निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया गया इसलिए पट्टा निरस्तनीय है। निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या 1 का कभी कब्जा नहीं रहा है तथा कब्जे अनदेखी करते हुए गैर निगरानीकार संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया। उक्त पट्टे की भूमि पर निगरानीकार शुरू से ही काबिज रहा है इसके बावजूद गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में पट्टा जारी किया गया जो निरस्तनीय है। निगरानीकार को दिनांक 19.10.2023 को निगरानीधीन पट्टे की जानकारी हुयी जिसके पश्चात निगरानीकार ने अविलम्ब माननीय न्यायालय में निगरानी पेश की है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार जाकर ग्राम पंचायत भानपुर कलां के आदेश दिनांक 27.08.2008 द्वारा गैर निगरानीकार के हक में जारी पट्टा निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

वकील अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि पट्टा नियमानुसार एवं न्याय के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही जारी किया गया है।

विवादित भूमि से निगरानीकार का कोई लेना देना नहीं है। निगरानीकार के मकान के पश्चित में निगरानीकार को 150 वर्गगज भूमि आवंटित की गयी एवं निगरानीकार के मकान के पश्चिम में गेट ताला आबादी भूमि पर निकला हुआ है तथा उक्त खाली आबादी भूमि से पश्चिम की ओर शंकरलाल की कृषि भूमि है। माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष निगरानीकार द्वारा अपने भूखण्ड का पट्टा पेश नहीं किया जिसके पश्चात माननीय सिविल न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2008 की अनुपालना में 3 फीट की गली छोडने के आदेश दिये गये जिसकी पालना में गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा 6 फीट की जगह छोडते हुए अपने हक अधिकार, स्वामित्व की भूमि पर विधिवत बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य करवाया है। जिला कलक्टर महोदय जयपुर को उपपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ एवं विकास अधिकारी जमवारामगढ की जांच रिपोर्ट दिनांक 28.05.2012 अनुसार भी निगरानीकार के पट्टे की वैधानिकता/विश्वसीनयता नहीं मानी गयी है। निगरानीकार द्वारा गलत तथ्य निगरानी में पेश किये गये है, निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर जांच रिपोर्ट अनुसार गैर निगरानीकार संख्या 1 का कब्जा माना गया है। निगरानीकार को जारी पट्टे से संबंधित कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। खसरा नंबर 334/2 के सीमा ज्ञान रिपोर्ट में भी तोताराम के मकान के पीछे निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर शंकरलाल पुत्र लादूराम शर्मा काबिज होना पाया गया है। पुलिस थाना जमवारामगढ में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत एफ.आई.आर संख्या 220 दिनांक 20.08.2009 में निगरानीकार का मामला झूठा पाया गया एवं एफ.आर संख्या 2013/2009 प्रस्तुत की गयी। गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में ग्राम पंचायत द्वारा 30 वर्षो से अधिक समय से कब्जा मानते हुए गैर निगरानीकारसंख्या 1 से 50 रूपये प्रति वर्गगज से नजराना राशि 14,897 रूपये जमा कर नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गयी है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विधि के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। ग्राम पंचायत से प्राप्त पत्र अनुसार निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 को जारी पट्टा पत्रावलिया अप्राप्त है इसलिए विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर किया जाना उचित समझते है। अधिवक्ता गैर निगरानीकार द्वारा निगरानीधीन पट्टा पत्रावली की सरपंच ग्राम पंचायत भानपुर कलां द्वारा प्रमाणित छायाप्रति न्यायालय के समक्ष दस्तावेजात के साथ पेश की गयी। पट्टा पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि गैर निगरानीकार संख्या 1 के आवेदन पत्र बाबत आबादी भूमि का

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

पट्टा चाहने हेतु पर ग्राम पंचायत द्वारा आगे कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.09.2019 को मौका रिपोर्ट हेतु तीन वार्ड पंचगण की कमेटी गठित की गयी। वार्डपंचगण द्वारा को मौका निरीक्षण किया गया एवं ग्राम पंचायत के समक्ष वार्ड पंचगण द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। निरीक्षण रिपोर्ट पर तीन वार्ड पंचगण के हस्ताक्षर है। जिसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज नियम 148 की पालना में दिनांक 05.11.2019 को आपत्ति नोटिस जारी किया गया। ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आपत्ति नहीं आने पर एवं विकास अधिकारी पं.स. जमवारामगढ के पत्रांक 5207 दिनांक 11.09.2019 के संदर्भ में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम भानपुर कलां स्थित खसरा नंबर 334/2 में 50 रूपये प्रति वर्गगज की दर से गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में दिनांक 05.12.2019 को 297.94 वर्गगज भूमि का पट्टा शुल्क 14897 रू जरिये रसीद संख्या 38659 दिनांक 10.12.2019 जमा कर जारी किया गया। निगरानीकार का मुख्य कथन है कि निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर निगरानीकार का कब्जा रहा है, पत्रवाली एवं पत्रावली पर उपलब्ध विकास अधिकारी पं.स. जमवारामगढ एवं उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ की संयुक्त जांच रिपोर्ट 15.06.2012 अनुसार निगरानीकार के पास उपलब्ध पट्टे की फोटो प्रति अनुसार 148.89 वर्गगज भूमि निगरानीकार को आवंटित की गयी है जबकि निगरानीकार का मौके पर निर्माण 177.78 वर्गगज है जो कि पट्टे में अंकित क्षेत्रफल से अधिक है। उक्त जांच रिपोर्ट से जाहिर होता है कि निगरानीकार स्वयं को आंवटित पट्टे की भूमि से अधिक भूमि पर काबिज है इसलिए निगरानीकार को आवंटित पट्टे की भूमि से अधिक भूमि के संबंध में वांछित अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं है। माननीय सिविल न्यायालय के के आदेश दिनांक 02.02.2008 की पालना में तीन फीट गली छोडते हुए निर्माण कार्य का आदेश पारित किया गया उक्त आदेश की पालना में लादू, डूंगाराम के परिवार द्वारा 6 फीट जगह छोडकर दीवार लगायी गयी है। उक्त जांच रिपोर्ट में निगरानीकार के मकान के दक्षिणी पश्चिमी कोने से 12 फीट दूरी तक आबादी भूमि स्थित है, जिस पर गैर निगरानीकार का कब्जा माना गया है। इसलिए उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर निगरानीकार का कब्जा नहीं होना प्रतीत होता है। विकास अधिकारी पं.स. जमवारामगढ द्वारा अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर को प्रेषित जांच रिपोर्ट दिनांक 07.08.2015 अनुसार निगरानीकार को इंदिरा आवासीय योजना के तहत जारी पट्टे की वैधानिकता संदिग्ध मानी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात एवं उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर निगरानीकार द्वारा अंकित तथ्य उचित प्रतीत नहीं होते है। निगरानीकर्ता द्वारा विवादित भूमि के संबंध में पुलिस थाना जमवारामगढ में एफ.आई.आर. संख्या 220 दिनांक 20.08.2009 दर्ज करवायी जिसमें अनुसंधान के पश्चात पुलिस थानाधिकारी द्वारा एफ.आर. लगायी गयी। गैर निगरानीकार संख्या 1 को जारी निगरानीधीन पट्टे को उपपंजीयक जमवारामगढ

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

द्वारा दिनांक 24.06.2020 द्वारा पंजीबद्व भी कराया गया है। निगरानीकार ने अपने कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया कि जिससे ये जाहिर हो कि निगरानीकार निगरानीधीन पट्टे की भूमि से किस प्रकार से संबंध/सरोकार रखते है। निगरानीकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्य/उज्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, विकास अधिकारी पं.स. जमवारामगढ द्वारा प्रशासनिक स्तर पर की गयी जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित प्रतीत नहीं होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ ग्राम पंचायत को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर